"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 14, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन, जी. ई. रोड, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक 15/छ.रा.वि. नि. आ./2005.—विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 सहपठित धारा 181 की उपधारा (2) की कंडिका (zo) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया नियत करने के लिए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है,—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम 2005

1. **संक्षिप्त नाम, परिसीमा तथा प्रारंभ**

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम 2005 कहे जायेंगे.

(2) ये विनियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा.

(3) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषाएं**

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों

(a) "अधिनियम" से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003),

(b) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, वह प्राधिकारी जो केन्द्र शासन द्वारा अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (1) सहपठित धारा 176 की उपधारा 2 की कंडिका (u) के अंतर्गत विहित की जावे,

(c) "आयोग" से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,

(d) "माह" से अभिप्रेत केलेण्डर माह/देयक के उद्देश्य से दो निरंतर मीटर रीडिंग के मध्य लगभग 30 दिवस की अवधि, जैसी भी स्थिति हो,

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है का अर्थ वही होगा जो उन्हें अधिनियम में प्रदत्त है. अन्य अभिव्यक्तियां जिनका प्रयोग यहां किया गया है किन्तु जो विशिष्ट रूप से इन विनियमों या अधिनियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु राज्य के विद्युत उद्योग हेतु प्रयुक्त संसद द्वारा पारित किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, यथाप्रयुक्त होगी. उपर्युक्त के अधीन रहते हुए वे अभिव्यक्तियां जो यहां उपयोग की गई हों किन्तु न तो इन विनियमों में या अधिनियम में परिभाषित की गई हों न ही संसद द्वारा पारित किसी विधि में, वह अर्थ रखेंगी जो सामन्यतः विद्युत प्रदाय उद्योग में रखी जाती हों.

3. **अपील का प्रस्तुतीकरण**

(1) अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से 30 दिवस की अवधि में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा.

(2) अपील इन विनियमों की अनुसूची में नियत प्रारूप में की जावेगी.

(3) अपील के साथ निम्न शुल्क देय होगा :

निर्धारित राशि का 1%, न्यूनतम 500/- तथा अधिकतम 10000/- रु. के अध्यधीन.

(4) शुल्क इस प्रकार से देय होगा जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे.

(5) अंतिम निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक नहीं सुनी जायेगी, जब तक कि अंतिम निर्धारित राशि के एक तिहाई के बराबर राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष जमा नहीं की जाती और इसका दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न नहीं किया जाता.

(6) यदि निर्धारक अधिकारी द्वारा पक्षकारों की सहमति से कोई आदेश किया जाता है, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील नहीं की जा सकेगी.

4. **अपील का निराकरण**

(1) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उसका निराकरण कर समुचित आदेश पारित करेगा और उसकी प्रति निर्धारक अधिकारी एवं अपीलार्थी को भेजेगा.

(2) अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा.

5. **भुगतान करने में चूक**

जब कोई व्यक्ति, निर्धारित राशि के भुगतान में चूक करें, तब वह निर्धारण आदेश के दिनांक से 30 दिन बीत जाने पर, निर्धारित राशि के अतिरिक्त 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी होगा. जिसकी गणना प्रत्येक छः माह में की जायेगी.

6. **विविध**

(1) विद्युत अधिनियम 2003 एवं इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन आयोग समय-समय पर इन विनियमों के क्रियान्वयन तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में आदेश जारी कर सकेगा तथा निर्देश प्रसारित कर सकेगा.

(2) आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी प्रावधानों को बढ़ा सकेगा, परिवर्तित, रूपांतरित, परिष्कृत या संशोधित कर सकेगा.

टीप :- इस अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया विनियम, 2005 के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

आयोग के आदेशानुसार,
एन. के. रूपवानी, सचिव.

अनुसूची

अपील का प्रारूप [विनियम 3 (2)]

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील निर्धारण अधिकारी श्री .... स्थान .... के अंतिम आदेश क्रमांक .... दिनांक .... के विरुद्ध अपील.

1. अपीलार्थी

उपभोक्ता का पूर्ण पता
एस. सी. क्र. सेवा की श्रेणी सहित

एवं

2. उत्तरदाता
(नाम एवं पता)

i- अनुज्ञप्तिधारी का नाम

ii- निर्धारण अधिकारी

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अंतर्गत अपील

क्रमांक (1)	विवरण (2)
1.	अपीलार्थी का नाम
2.	दूरभाष क्रमांक सहित पता
3.	विद्युत संयोजन के स्थान का पता
4.	संयोजन का उद्देश्य
5.	सेवा संयोजन क्रमांक
6.	टैरिफ श्रेणी
7.	संयोजित भार
8.	अंतरिम देयक की राशि
9.	अंतिम बिल की राशि (जिसके संबंध में अपील की जाये) (अंतिम बिल की छायाप्रति संलग्न करें)
10.	अपीलीय प्राधिकारी को शुल्क के भुगतान का विवरण

(1)	(2)
11.	अंतिम बिल की राशि के एक तिहाई राशि के अनुज्ञप्तिधारी को किये गये भुगतान का विवरण (रसीद की छायाप्रति संलग्न करें)
12.	अपील के संबंध में निर्धारक अधिकारी का नाम, पदनाम तथा पता
13.	अपील के आधार (समर्थन में दस्तावेज यदि कोई हों, तो संलग्न करें)
14.	यह प्रमाणित किया जाता है कि (ए) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 (5) के अनुसार अंतिम आदेश उभय पक्षों की सहमति से पारित नहीं किया गया है. (बी) अपील की विषयवस्तु किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं है.
15.	प्रार्थना अत: प्रार्थना है कि ....

अपीलार्थी का नाम व हस्ताक्षर

सत्यापन*

मैं .... आत्मज .... आयु .... वर्ष

निवासी .... शपथपूर्वक पुष्टि एवं घोषणा करता हूं कि अपील ज्ञापन के कंडिका

से .... तक के कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य हैं और कंडिका .... से .... तक

उस सूचना पर आधारित हैं, जो मेरे विश्वास में सत्य है. अत: आज दिनांक .... को स्थान ....

.... में शपथपूर्वक पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त अपील के कथन मेरे ज्ञान में सत्य है एवं इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और कोई भी तात्विक तथ्य छुपाया नहीं गया है.

स्थान :-
दिनांक :-

अपीलार्थी का नाम व हस्ताक्षर

मेरे समक्ष पहचान की गई

(*अधिकृत प्राधिकारी के समक्ष पुष्टि की जावे, जैसे नोटरी)

संलग्न दस्तावेजों की सूची :-

1. निर्धारक अधिकारी के अंतिम आदेश की सत्यप्रति / छायाप्रति
2. अंतिम निर्धारित बिल की छायाप्रति
3. शुल्क जमा करने की रसीद की छायाप्रति अथवा उसका संदर्भ
4. अंतिम निर्धारित बिल का 1/3 भाग जमा करने के रसीद की छायाप्रति
5. ....
6. ....

Raipur, the 17th October 2005

No. 15/CSERC/2005.— In exercise of the power conferred on it under Section 127 read with clause (zo) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations related to procedure for filing appeal before the Appellate Authority.

CSERC (PROCEDURE FOR FILING APPEAL BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY) REGULATIONS, 2005

1. **Short title, extent and commencement**

(1) These Regulations shall be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Procedure for filing appeal before the Appellate Authority) Regulations, 2005.

(2) These shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Chhattisgarh Rajpatra.

2. **Definitions**

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires :-

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) ;

(b) "Appellate Authority" means the authority as prescribed by the Central Government under sub-section (1) of Section 127 read with clause (u) of sub-section (2) of Section 176 of the Act ;

(c) "Commission" means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission;

(d) "Month" means the calendar month. The period of about 30 days between the two consecutive meter readings shall also be regarded as a month for the purpose of billing, where relevant ;

(2) Words or expressions used in these Regulations and not defined shall bear the same meaning as assigned to them in the Act and the Regulations made by the Commission.

3. **Filing of appeal**

(1) A person aggrieved by a final order passed by the assessing officer under section 126 of the Act, may, within thirty (30) days of the said order, file an appeal before the appellate Authority.

(2) The appeal shall be filed in the form specified in the Schedule to these Regulations.

(3) The appeal shall be accompanied by the following fees :

1 % of the assessed amount subject to minimum of Rs. 500 and maximum of Rs. 10,000.

(4) The fee shall be paid in such manner as the Appellate Authority may specify.

(5) No appeal against final assessment order shall be entertained unless an amount equal to one-third of the final assessed amount is deposited in cash or by way of bank draft with the licensee and documentary evidence of that has been enclosed along with the appeal.

(6) No appeal shall be in cases where the final order made by the assessing officer is with the consent of the parties.

4. **Disposal of appeal**

(1) The appellate authority shall dispose of the appeal after hearing the parties within 60 days of receiving the appeal. He shall send copy of the order to the assessing officer and the appellant.

(2) The order of the appellate authority shall be final.

5. **Default in making Payment**

When a person defaults in making payment of the assessed amount, he, in addition to the assessed amount, shall be liable to pay, on the expiry of thirty days from the date of order of assessment, interest at the rate of one percent (1%) per month compounded every six months.

6. **Miscellaneous**

(1) Subject to the provisions of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of these regulations and procedures to be followed.

(2) The Commission may, at any time, add, vary, alter, modify or amend any of the provisions of these regulations.

Note :- In case of any difference in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of these Regulations with that of English version (The original version), the later will prevail and in case of any dispute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By order of the Commission,
N. K. RUPWANI, Secretary.

Schedule

Form of Appeal
[Regulation 3 (2)]

APPEAL BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY UNDER SECTION 127 OF THE ELECTRICITY ACT, 2003

Appeal against final order No. .... dated .... of assessing officer

Sh ...., Place ....

1. Appellant
(Name and address)

AND

2. Respondent
(Name and address)

i. Licensee
ii. Assessing officer

Appeal under Section 127 of the Electricity Act 2003

S. No. (1)	Particulars (2)
1.	Name of Appellant -
2.	Address with Telephone No. -
3.	Address of the place of connection -
4.	Purpose of connection -
5.	Service connection No. -
6.	Tariff Category -
7.	Connected Load/Contract Demand (HP/KW/KVA) -
8.	Amount of provisional Bill -
9.	Amount of final Bill in relation to the Appeal - (Annex photocopy of the final bill).
10.	Details of payment of fee to appellate authority -
11.	Details of payment of 1/3rd amount of final bill to the licensee - (Annex photocopy of the receipt).
12.	Name, designation and address of the Assessing Officer in relation to the appeal -

(1)	(2)
13.	Grounds of appeal (Documents in support, it any, to be annexed)
	1.
	2.
	3.
14.	This is to certify that
	a. The Final order was not passed with the consent of both the parties as per section 127 (5) of the Electricity Act, 2003.
	b. The matter of the appeal has not been pending before any court of Law or any other authority.
15.	Prayer
	It is therefore, prayed that ....
	....
	....

Name & Signature of the Appellant

VERIFICATION *

I, ...son of .... aged ....

residing at .... do solemnly affirm and declare that statements made in

paragraphs .... of the appeal are true to my knowledge and belief and

statements made in paragraphs .... to .... are based on information

and I believe them to be true.

Solemnly affirm at .... on this .... day of ....

that the contents of the above appeal are true to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed.

Place :

Date :

Name & Signature of the Appellant

Identified before me

(* To be affirmed before authorized authority, i. e. Notary)

List of Documents attached :

1. True copy/photo copy of the final order of the assessing officer.
2. Photo copy of the final assessment bill.
3. Photo copy of the receipt of deposition of fee or its reference.
4. Photo copy of the receipt of deposition of 1/3rd of final assesed bill.
5. --
6. --

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.